

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2010/ 390

दिनांक 22/7/10

—: आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 09.08.10 से 21.08.10 तक Induction/Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-


क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1.	डा० मधु धमीजा	व०चि०अ०	जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर
2.	डा० इन्द्राज सहारण	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र पदमपुर (श्रीगंगानगर)
3.	डा० बट्टी	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
4.	डा० धमेन्द्र	ग्रा०चि०अ०	केनाल कालोनी डिस्पेंसरी (हनुमानगढ़)
5.	डा० शंकरलाल गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र स्वरूपगंज (भीलवाडा)
6.	डा० गिरीश शर्मा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र जायल (नागौर)
7.	डा० संजीव गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र डिग्गी (टोंक)
8.	डा० बाबूलाल कुमावत	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मोमासर (बीकानेर)
9.	डा० संजीव कुमार बंसल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र करीरी (जयपुर)
10.	डा० सुनील सिंघल	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
11.	डा० अशोक कुमार	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पारलिका (हनुमानगढ़)
12.	डा० रामनिवास मीणा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सारथल (बांरा)
13.	डा० महेश चन्द मेहरा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जवाहर एस डेम (बून्दी)
14.	डा० देवेन्द्र झालानी	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र डांग (झालावाड़)
15.	डा० चन्द्रजीत सिंह चन्देल	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सुल्तानपुर (कोटा)
16.	डा० गोपाल लाल बंसल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मेंहन्दीपुर बालाजी (करौली)
17.	डा० गिरिराज प्रसाद गोयल	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बौली (सवाईमाधोपुर)
18.	डा० अनिल जैन	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बढरेल (बासंवाडा)
19.	डा० प्रवीण कुमार मीणा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कपासन (चित्तौडगढ़)
20.	डा० नरेश यादव	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रास्तापाल (डूंगरपुर)
21.	डा० संजय कुमार गुप्ता	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र परसोला (प्रतापगढ़)
22.	डा० सुनील शर्मा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रेलमगरा (राजसमन्द)
23.	डा० गोविन्द कुमार गोयल	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बस्सी (उदयपुर)
24.	डा० भवानी सिंह मीणा	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सायरा (उदयपुर)
25.	डा० राजीव जैन	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र तारातारा (बाडमेर)
26.	डा० अरविन्द कुमार	ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लोहारकी (जैसलमेर)
27.	डा० रामलाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गागरडू (जयपुर-II)
28.	डा० मंजू	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र डंड (सीकर)
29.	डा० विनोद गुप्ता	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र राजासर बीकान (चूरू)
30.	डा० रोमेल सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मानपुर (जयपुर-I)
31.	डा० विशाल पारीक	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जैतपुर (अलवर)
32.	डा० प्रवीण पंवार	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र जवाजा (अजमेर)
33.	डा० पदमा पंवार	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र निम्बीजोधा (नागौर)
34.	डा० अखिलेश कुमार मीणा	ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र रींगस (सीकर)
35.	डा० बालकृष्ण शर्मा	चि०अ०प्र०	सामु०स्वा०केन्द्र रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 08.08.10 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6)ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07

/ / 2 / /

के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे की प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/ मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट :- यात्रा भत्ता टेक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।  
दिनांक 22/7/16

क्रमांक:- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2010/390

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को आज दिनांक 14.07.10 को डा0 एस0एस0 यादव से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 08.08.10 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।